माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध /2016

1. भगवानदास पुत्र श्री गयादीन
2. प्रभावती पत्नि स्व. मोहनलाल
3. राजकिशोर पुत्र स्व श्री मोहनलाल
4. ज्ञानवाई पुत्री स्व श्री मोहनलाल
5. हल्कू पुत्र स्व श्री मोहनलाल
6. अब्बू पुत्र स्व श्री मोहनलाल सभी निवासीगण ग्राम सहिलवास तहसील गुन्नौर जिला पन्ना

..........आवेदकगण

बनाम

1. गोविन्द प्रसाद पुत्र विधाधर
2. महिला भूरीवाई पत्नि विधाधर निवासीगण ग्राम सहिलवारा तहसील गुन्नौर जिला पन्ना म.प्र.

......अनावेदकगण

<u>आवेदन वास्ते निगरानी क 146 /दो /2006 में पारित आदेश 5.9.2016 में आंशिक संशोधन करने वावत धारा 32 म.प्र. भू राज्य संहिता तहत आवेदन पत्र</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन निम्न प्रकार है। :–

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो निगरानी विधिवत एंव नियमानुसार स्वीकार की गई है।
2. यहकि, श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 5.9.2016 के अंतिम आदेश के पैरा 5 में अपर बंदोवस्त आयुक्त म.प्र. ग्वालियर द्वारा प्रकरण क 33/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.9.98 अंकित हो गया है जिसे सुधार किया जाकर अपर बंदोवस्त आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क 66/अपील/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.10.1998 संशोधन किया जाना न्याय संगत है।
3. यहकि, अन्य विन्दु सुनवाई के समय निवेदन किये जावेगे।

अतः श्रीमान जी से आवेदकगण का निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश में आवेदकगण का संशोधन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

दिनांकः– 22/09/2016

प्रार्थी

भगवानदास व अन्य द्वारा
अभिभाषक
सुनील सिंह जादौन एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9180—एक / 16 जिला —पन्ना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
23.9.16	आवेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित होकर धारा 32 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि निगरानी प्रकरण कमांक 146—दो / 06 में पारित आदेश दिनांक 5.9.16 में आदेश के पैरा 5 अपर बंदोवस्त आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 33 / 1993—94 अपील में पारित आदेश दिनांक 18.9.98 अंकित हो गया है जिसे सुधार किये जाने का निवेदन किया है। 2— आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आदेश के पैरा 5 में अपर बंदोवस्त आयुक्त ग्वालियर का प्रकरण कमांम 66 / अपील / 90—91 पारित आदेश दिनांक 28.10.98 में पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	